



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रीड़ा/अका./रांब./2015

भोपाल, दिनांक 19-5-15

पति:

प्राचार्य,

S.A.T.I.

Vidisha

विषय:- सत्र 2015-16 में प्रदत्त रथाई/अरथाई संबद्धता/निरंतरता प्रदान करने विषयक।

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 01/05/2015 में की गई अनुशंसा तथा कार्यपरिषद की ओर से कुलपति के प्रदत्त अधिकार 15(4) में अनुमोदन उपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों की रथाई/अरथाई संबद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

1. M.B.A - F.T. 60 Seats
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

शर्तों :-

1. आपको प्रदत्त अरथाई संबद्धता निरंतर करने हेतु आगामी सत्र 2016-17 के लिए आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, दी भान्यता, निर्धारित संबद्धता शुल्क एवं आवेदन पत्र के साथ 31.03.2016 तक आवेदन करना होगा।
2. आपको विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 की परीक्षा अध्यादेश क्रमांक 5,6,7 का पालन करना होगा, जिसे आप विश्वविद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
3. शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय परिनियम 28 के तहत 3 माह में पूर्ण करनी होगी।
4. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
5. आपको शासी निकाय का गठन कर नियमित बैठकों का आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
6. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी सर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात ही आगामी सत्र में संबद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी। अव्याधि प्रदत्त अरथाई संबद्धता माव्य योग्य नहीं होगा।
7. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश माव्य नहीं किया जावेगा तथा उसकी संपूर्ण जगावदारी महाविद्यालय प्रबंधन की होगी।

बोट: जिन महाविद्यालयों में कालेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है तथा निर्धारित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा नहीं की है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अरथाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।

आदेशानुसार

उप-कुलसचिव (अकादमी)
भोपाल, दिनांक: 19-5-15

पृष्ठक्रमांक: 988/अका/संब.I/2015

प्रतिलिपि:

5. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. विशेष कर्तव्यरथ अधिकारी भोपाल/नर्मदापुरम रांभाग सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. उपकुलसचिव गोपनीय/परीक्षा की ओर सूचनार्थ।
8. कुलपति/कुलसचिव के बिजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।

राहायक कुलसचिव, (अकादमी)
भोपाल



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्र. १८७/अका. संब. २०१५

भोपाल, दिनांक १९-५-१५

प्रति,

प्राचार्य,

S.A.T.I.

Odisha

विषय:- सत्र २०१५-१६ में प्रदत्त स्थाई/अस्थाई संबद्धता/निरंतरता प्रदान करने विषयक।

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक ०१/०५/२०१५ में की गई अनुशंसा तथा कार्यपरिषद की ओर से कुलपति के प्रदत्त अधिकार १५(४) में अनुमोदन उपराज्ञ आपके महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों की स्थाई/अस्थाई संबद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है। :-

१. M.Sc Applied - F., Maths, Chem, Phy,

२. M.Sc. F - C.S २५ seats

३.

४.

५.

६.

७.

८.

शर्त :-

- आपको प्रदत्त अस्थाई संबद्धता निरंतर करने हेतु आगामी सत्र २०१६-१७ के लिए आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, की मान्यता, निर्धारित संबद्धता शुल्क एवं आवेदन पत्र के साथ ३१.०३.२०१६ तक आवेदन करना होगा।
- आपको विश्वविद्यालय परिनियम २७ एवं २८ की परीक्षा अध्यादेश क्रमांक ५,६,७ ला पालन करना होगा, जिसे आप विश्वविद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
- शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय परिनियम २८ के तहत ३ माह में पूर्ण करनी होगी।
- महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्ट एकाउंट से सत्यापित करवा कर प्रत्युत करना होगा।
- आपको शारी निकाय का गठन कर नियमित बैठकों का आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
- उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी सर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात ही आगामी सत्र में संबद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी। अन्यथा प्रदत्त अस्थाई संबद्धता मान्य योग्य नहीं होगा।
- बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसकी संपूर्ण जवाबदारी महाविद्यालय प्रबंधन की होगी।

नोट: जिन महाविद्यालयों में कालेज कोड २८ के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है तथा निर्धारित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा नहीं की है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।

आदेशानुसार

उप-कुलसचिव (अकादमी)

भोपाल, दिनांक १९-५-१५

पृ० क्रमांक १८८/अका. संब. १/२०१५

प्रतिलिपि:

- आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल।
- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी भोपाल/नर्मदापुरम संभाग सतपुड़ा भवन भोपाल।
- उपकुलसचिव गोपनीय/परीक्षा की ओर सूचनार्थ।
- कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।

सहायक कुलसचिव, (अकादमी)
गोपनीय